रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112022-239991 CG-DL-E-03112022-239991

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 714] No. 714] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 2022/कार्तिक 11, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 2022/KARTIKA 11, 1944

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2022

सा.का.िन. 802(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, समूह 'ग' पदों पर भर्ती नियम, 2018 को, जहाँ तक उनका संबंध चिकित्सा अभिलेख तकनीकज्ञ के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोग किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

7284 GI/2022 (1)

### 4. निरर्हता: वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

## उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

# अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या
				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चिकित्सा अभिलेख	1 *(2022)	साधारण केंद्रीय सेवा,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100	अचयन
तकनीशियन	*कार्यभार के	समूह 'ग', अराजपत्रित,	रुपये)	
	आधार पर	अननुसचिवीय		
	परिवर्तन किया जा			
	सकता है।			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक

	और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
(6)  18 से 27 वर्ष के बीच।  (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष तक की जा सकती है।)  टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य-क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।	1. किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण।  2. किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र से चिकित्सा अभिलेख तकनीशियन में डिप्लोमा।  टिप्पण 1: अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध
	होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8) आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: हाँ	(9) दो वर्ष (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए)	(10) प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(11) प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) में ऐसे चिकित्सा अभिलेख लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति/पुष्टि समिति (प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:	विचार करने	लागू नहीं होता।
निदेशक, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची	- अध्यक्ष;	
चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य;	
केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची या प्रोफेसर, भारतीय विधिक मापविज्ञान संस्थान, रांची	- सदस्य ।	

[फा. सं. ए.12018/04/2021-एमई] विशाल चौहान, संयुक्त सचिव

# MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2022

**G.S.R. 802(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2018, in so far as they relate to the post of

Medical Record Technician except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Record Technician in the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Medical Record Technician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
  - 4. **Disqualification.** No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6.** Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Record	1* (2022)	General Central	Level 4 in the	Non - selection.
Technician.	*Subject to variation dependent on work load.	Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Matrix (Rs. 25500 - 81100)	

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	
(6)	(7)	
Between 18 and 27 years.	Class XII pass from a recognised Board or University.	
(Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central	<ol> <li>Diploma in Medical Record Technician from a recognised Institute or Training Centre.</li> <li>Note 1: Qualification is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidate otherwise well qualified.</li> </ol>	
Government from time to time.)	<b>Note 2:</b> Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing, in case of candidate belonging to the Schedule Castes	

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from the candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and pangi Sub-division of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

or the Schedule Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and	Period of	Method of recruitment	In case of recruitment by promotion or deputation
educational	probation, if	whether by direct	or absorption grades from which promotion or
qualifications	any.	recruitment or by	deputation or absorption to be made.
prescribed for direct		promotion or by	
recruits will apply in the		deputation or	
case of promotees.		absorption and	
		percentage of the	
		vacancies to be filled	
		by various methods.	
(8)	(9)	(10)	(11)
Age: No	Two years	By promotion failing	Promotion: Medical Record Clerk in Level 2 in
Education	(for direct	which by direct	the pay matrix (Rs. 19900 - 63200) having eight
Qualification: Yes	recruits)	recruitment.	years regular service in the grade.
			Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion/ Confirmation Committee (for considering promotion / confirmation) consisting of	Not applicable.
Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Chairman	
Medical Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi – Member	
Chief Administrative Officer, Central Institute of Psychiatry, Ranchi or Professor, Indian Institute of Legal Metrology, Ranchi-Member.	

[F.No. A.12018/04/2021-ME]

VISHAL CHAUHAN, Jt. Secy.